


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हरिनारायण बनाम सरकार जरिये तहसीलदार चौमू अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/452	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29.08.22	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू के आदेश दिनांक 25.05.2055 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है तथा रेस्पोंडेन्ट 3 लगायत 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 व धारा 114 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.08.2022 के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2022 को निरस्त फरमा दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर उक्त अपील में उचित आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2022 को निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश को निरस्त ही किया जा चुका है तो उस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p>	


 (विकास एस.भाले)
 संभागीय आयुक्त
 जयपुर